# न्यायालय कलेक्टर सागर, जिला सागर (म.प्र.)

प्रकरण क्र– 06 अ/19(3) वर्ष 2019–20
मौजा– मलकपुर प.ह.नं. 26
तहसील बण्डा जिला सागर (म.प्र.)

परियोजना प्रशासक,
बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर
तहसील व जिला सागर (म.प्र.)

...................... आवेदक

**विरूद्ध**

म.प्र.शासन

.................... अनावेदक

## !! आदेश !!

**(पारित दिनांक 29/5/2019)**

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि परियोजना प्रशासक बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर का पत्र कमांक–163/कार्य/2018–19 सागर दि. 06.02.19 के माध्यम से इस न्यायालय के आदेश कमांक–988/री.कले./14 सागर दि. 12.02.14 से बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना हेतु डूब क्षेत्र में आई वन भूमि के बदले 1190.56 हे. राजस्व भूमि वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को आरक्षित कर हस्तांतरित की गई थी। उक्त भूमि में से बीना परियोजना में वर्तमान में 618.49 हे. भूमि उपयोग में ली जाना एवं शेष रकवा 572.07 हे. भूमि बण्डा सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में आ रही वन भूमि के बदले में आरक्षित किया जाना प्रस्तावित की गई। प्राप्त पत्र के पालन में इस न्यायालय द्वारा पत्र कमांक–1197/री.कले./19 सागर दिनांक 08.02.19 के माध्यम से तहसीलदार बण्डा एवं अनुविभागीय अधिकारी बण्डा जिला सागर से प्रस्ताव प्राप्त किये गये।

प्राप्त प्रस्ताव पर तहसीलदार बण्डा का प्रकरण कमांक–0070 बी/121 वर्ष 19–20 मौजा मलकपुर अनुविभागीय अधिकरी (राजस्व) बण्डा के माध्यम से प्रतिवेदन सहित प्राप्त हुआ। तहसीलदार द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि प्राप्त प्रस्ताव पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। संयुक्त जांच प्रतिवेदन लिया गया। प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया कि राजस्व विभाग, वन विभाग, जल संसाधन विभाग के द्वारा मौका स्थल पर जाकर संयुक्त निरीक्षण किया गया। मौका स्थल निरीक्षण में लेख है कि तहसील बण्डा राजस्व निरीक्षक मंडल बहरोल के ग्राम मलकपुर में स्थित भूमि ख.नं. 4/2 रकवा 53.50 हे. भूमि जो कि बीना परियोजना के डूब क्षेत्र उपरांत बदले में वन विभाग को वृक्षारोपण हेतु प्रदाय की गई थी, जिस पर वर्तमान में वन विभाग का अधिपत्य है। उक्त भूमि को राजस्व अभिलेख में बण्डा परियोजना के नाम से कम्प्यूटर अभिलेख में नाम परिवर्तन करने पर कोई आपत्ति नहीं है। मौके पर राजस्व एवं जल संसाधन विभाग के अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर किये गये। वन विभाग के पत्र कमांक/मा.चि./18/480 सागर दिनांक 08.02.19 जो कि वन मंडल अधिकारी सागर द्वारा सहमति प्रेषित की गई है। तहसीलदार बण्डा के प्रस्ताव पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा द्वारा अपनी अनुशंसा की गई।

अतः तहसीलदार बण्डा/अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बण्डा के प्राप्त प्रस्ताव से सहमत होकर मौजा मलकपुर प.ह.नं. 26 रा.नि.मं. बहरोल तहसील बण्डा जिला सागर में स्थित निम्नानुसार भूमि :–

| स.क. | ग्राम का नाम | पटवारी हल्का नं. | ख0नं0 | कुल रकवा (हे.में) | हस्तांतरित रकवा (हे.में) | मद |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | मलकपुर | 26 | 4/2 | 53.50 | 53.50 | वन विभाग म.प्र.शासन |

P.T.O.

कलेक्टर
सागर

वन विभाग को पूर्व में इस न्यायालय के आदेश कमांक–988/री.कले./14 सागर दिनांक 12.02.14 के द्वारा हस्तांतरित हो चुकी है तथा अधिपत्य भी वन विभाग का है। अतः खसरा के कॉलम नंबर 12 में बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्‌देशीय परियोजना के स्थान पर बण्डा सिंचाई परियोजना में आने वाली वन भूमि के बदले अंकित किये जाने का आदेश दिया जाता है।

कलेक्टर
जिला–सागर

पृ0क0/4118/री0कले0/2019 सागर दिनांक 27/05/2019

**प्रतिलिपिः–**

1. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा जिला सागर को मूल प्रकरण सहित पटवारी अभिलेख दुरूस्ती कराये जाने हेतु प्रेषित संशोधित अभिलेख की प्रमाणित प्रतिलिपि सहित प्रकरण इस न्यायालय को भेजें।
2. परियोजना प्रशासक बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर को सूचनार्थ।
3. तहसीलदार बण्डा जिला सागर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कलेक्टर
जिला–सागर

# न्यायालय कलेक्टर सागर, जिला सागर (म.प्र.)

प्रकरण क्र– 07 अ/19(3) वर्ष 2019–20
मौजा– मुडेरी प.ह.नं. 70
तहसील देवरी जिला सागर (म.प्र.)

परियोजना प्रशासक,
बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर
तहसील व जिला सागर (म.प्र.) ...................... आवेदक

**विरूद्ध**

म.प्र.शासन ...................... अनावेदक

## !! आदेश !!

**(पारित दिनांक 29 /5 /2019)**

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि परियोजना प्रशासक बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर का पत्र क्रमांक– 163/कार्य/2018–19 सागर दिनांक 06.02.19 के माध्यम से इस न्यायालय के आदेश क्रमांक–988/री.कले./14 सागर दिनांक 12.02.14 से बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना हेतु डूब क्षेत्र में आई वन भूमि के बदले 1190.56 हे. राजस्व भूमि वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को आरक्षित कर हस्तांतरित की गई थी। उक्त भूमि में से बीना परियोजना में वर्तमान में 618.49 हे. भूमि उपयोग में ली जाना एवं शेष रकवा 572.07 हे. भूमि बण्डा सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में आ रही वन भूमि के बदले में आरक्षित किया जाना प्रस्तावित की गई। प्राप्त पत्र के पालन में इस न्यायालय द्वारा पत्र क्रमांक–1197/री.कले./19 सागर दिनांक 08.02.19 के माध्यम से तहसीलदार देवरी एवं अनुविभागीय अधिकारी देवरी जिला सागर से प्रस्ताव प्राप्त किये गये।

प्राप्त प्रस्ताव पर नायब तहसीलदार माहराजपुर का प्रकरण क्रमांक–173 बी/121 वर्ष 18–19 मौजा मुडेरी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी के माध्यम से प्रतिवेदन सहित प्राप्त हुआ। जिसमें प्रतिवेदित किया गया कि प्राप्त प्रस्ताव पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। ग्राम में इश्तहार जारी कर आपत्तियां आमंत्रित की गई, इश्तहार के जारी होने के उपरांत कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। हल्का पटवारी से प्रतिवेदन लिया गया, तहसीलदार ने प्रतिवेदित किया गया कि मौजा मुडेरी प.ह.नं. 70 भरई रा.नि.मं. महाराजपुर स्थित भूमि ख.नं. 54 रकवा 104.05 हे. भूमि इस के प्रकरण क्रमांक–02/अ–19(3) वर्ष 2012–13 में पारित आदेश दिनांक 12.02.2014 के द्वारा बीना संयुक्त सिंचाई परियोजना हेतु वनभूमि के बदले राजस्व भूमि प्रदाय की गयी थी, जो अभिलेखों में संयुक्त सिंचाई परियोजना के नाम दर्ज है। कार्यालय परियोजना संचालक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन संभाग विभाग सागर के पत्र क्रमांक–163 दिनांक 606.02.19 के द्वारा बीना परियोजना के हस्तांतरित भूमि में से शेष भूमि रकवा 572.07 हे. भूमि बण्डा सिंचाई परियोजना के नाम संशोधित आदेश पारित किये जाने लेख किया गया है। नायब तहसीलदार महाराजपुर, वन विभाग एवं सिंचाई विभाग द्वारा संयुक्त स्थल निरीक्षण में ख.नं. 54 रकवा 104.07 हे. भूमि बण्डा सिंचाई परियोजना के नाम संशोधित किये जाने में कोई आपत्ति न होना प्रतिवेदित किया गया है। वन विभाग के पत्र क्रमांक/मा.चि./06/2019/702 सागर दिनांक 09.04.19 जो कि वन मंडल अधिकारी सागर द्वारा सहमति प्रेषित की गई है। नायब तहसीलदार महाराजपुर के प्रस्ताव पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी द्वारा अपनी अनुशंसा की गई।

अतः नायब तहसीलदार महाराजपुर/अनुविभागीय अधिकारी (रा.) देवरी के प्राप्त प्रस्ताव से सहमत होकर मौजा मुडेरी प.ह.नं. 70 रा.नि.मं. महाराजपुर तहसील देवरी जिला सागर में स्थित निम्नानुसार भूमि :–

P.T.O.

| स.क्र. | ग्राम का नाम | पटवारी हल्का नं. | ख0नं0 | कुल रकवा (हे.में) | हस्तांतरित रकवा (हे.में) | मद |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | मुडेरी | 70 | 54 | 104.07 | 104.07 | वन विभाग म.प्र.शासन |

वन विभाग को पूर्व में इस न्यायालय के आदेश क्रमांक–988/री.कले./14 सागर दिनांक 12.02.14 के द्वारा हस्तांतरित हो चुकी है तथा अधिपत्य भी वन विभाग का है। अतः खसरा के कॉलम नंबर 12 में बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना के स्थान पर बण्डा सिंचाई परियोज़ना में आने वाली वन भूमि के बदले अंकित किये जाने का आदेश दिया जाता है।

कलेक्टर
जिला–सागर

पृ0क्र0/4117/री0कले0/2019 सागर दिनांक 29/05/2019

**प्रतिलिपिः–**

1. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी जिला सागर को मूल प्रकरण सहित पटवारी अभिलेख दुरूस्ती कराये जाने हेतु प्रेषित संशोधित अभिलेख की प्रमाणित प्रतिलिपि सहित प्रकरण इस न्यायालय को भेजें।
2. परियोजना प्रशासक बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर को सूचनार्थ।
3. तहसीलदार देवरी जिला सागर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. नायब तहसीलदार महाराजपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कलेक्टर
जिला–सागर

सागर

मध्य प्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख
फार्म पी -II
खसरा

सी. एल. आर. न. :111003020002610700073

| ग्राम:मल्कपुर | | हल्का :26 पिथोली | | रा.नि.म. :बहरोल | | तहसील :बन्डा | | जिला :सागर | | वर्ष: 2018-2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्रमांक | क्षेत्रफल (और यदि भूमि खाते मे सम्मिलित न हो तो उसका वर्णन) | कब्जेदार का नाम, उसके पिता का या पति का नाम तथा निवास स्थान, अधिकार जिसके अन्तर्गत भूमि धारण की गई हो और देय राजस्व का लगान | किसी भूमिस्वामी या पट्टेदार का या किसी मौरूसी काश्तकार के उप पट्टेदार का नाम, पिता का नाम, लगान या पट्टे की रकम और उप-पट्टे पर दिए गये भाग का क्षेत्रफल | खाते की भूमि: क्षेत्रफल जिसमे वर्ष के दौरान में फसल उगाई गई — फसल का नाम | क्षेत्रफल | दुफसली क्षेत्रफल | पड़ती का क्षेत्रफल — चालू वर्ष की पड़ती | 2 से 5 वर्ष तक की पड़ती | अन्य पड़ती अर्थात् 5 वर्ष से अधिक | खाते के बाहर के क्षेत्रो मे बोई गई फसल का नाम तथा क्षेत्रफल | कैफियत |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4/2 | 53.500<br>0वन शासकीय<br>53.500<br>0 | (शासकीय)<br>वन विभाग<br>पता सागर मध्य प्रदेश<br>सम्पूर्ण भाग<br>शासकीय | | | | | | | | अन्य 53.<br>5000 | न्यायालय कलेक्टर सागर के पत्र क्र 988-रीडर -14 दि. 12-2-14 के अनुसार वन विभाग को हस्ताँतरित।श्रीमान्कलेक्टर म हो. सागर के रा. प्र. क्र. 26/अ/19(3) वर्ष 2012-13 मे पारित आ. दि. 4-2-13 के. अनुसार इस ख.न. 4रकवा 86.85 हे. में से 53.50 हे. भूमि बीना संयुक्त सिंचाई एवम् बहुउद्देशीय परियोजना हेतु वन विभाग की डूब क्षेत्रमें आने वाली भूमि के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को दिये जाने हेतु आरक्षित की गई।<br>न्यायालय कलेक्टर महोदय के रा0 प्र0 क्0 06 अ 19- 3 वर्ष 2019-20 आदेश दि0 29/05/2019 के अनुसार बीना संयुक्त सिचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना के स्थान पर बंडा सिचाई परियोजना को हस्ता0 दि. 07/06/2019 को तहसीलदार द्वारा पूर्व में दर्ज भूमि प्रकार निजी से शासकीय में संशोधन किया गया। |

सूचना केन्द्र
07 JUN 2019
तहसील-बन्डा, जिला-सागर



Digitally signed by DS COMMISSIONER LAND RECORDS AND SETTLEMENT MADHYA PRADESH 01
Date: 2019.06.07 18:03:17 IST
Reason: Digital Extract of Land Record - Khasra Copy
CLR No. : 111003020002610700073

मध्य प्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख
फार्म पी -II
खसरा

सी. एल. आर. न. :11100702000702540000069

| ग्राम:मुडेरी | | हल्का :70 परई (मुख्यालय) | | रा.नि.म. :महाराजपुर | | तहसील :देवरी | | जिला :सागर | | वर्ष: 2018-2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्रमांक | क्षेत्रफल (और यदि भूमि खाते मे सम्मिलित न हो तो उसका वर्णन) | कब्जेदार का नाम, उसके पिता का या पति का नाम तथा निवास स्थान, अधिकार जिसके अन्तर्गत भूमि धारण की गई हो और देय राजस्व का लगान | किसी भूमिस्वामी या पट्टेदार का या किसी मौरूसी काश्तकार के उप पट्टेदार का नाम, पिता का नाम, लगान या पट्टे की रकम और उप-पट्टे पर दिए गये भाग का क्षेत्रफल | खाते की भूमि | | | | | | खाते के बाहर के क्षेत्रो मे बोई गई फसल का नाम तथा क्षेत्रफल | कैफियत |
| | | | | क्षेत्रफल जिसमे वर्ष के दौरान में फसल उगाई गई | | | पड़ती का क्षेत्रफल | | | | |
| | | | | फसल का नाम | क्षेत्रफल | दुफसली क्षेत्रफल | चालू वर्ष की पड़ती | 2 से 5 वर्ष तक की पड़ती | अन्य पड़ती अर्थात् 5 वर्ष से अधिक | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 54 | 104.05<br>00 | वन विभाग म.प्र. शासन<br>भूमि स्वामी | | | | | | | | ######<br>## | चांदा दु.चांदा18 दु. चांदा5 ना.दु. S.T.चांदा2 दु.साज 20 महुआं10 , न्या श्रीमान कलेक्टर महोदय सागर के रा प्र क्र 23/19 (3) वर्ष 12-13 आ दि 12/2/2014 के अनुसार म.प्र. शासन वनविभाग को हस्तान्तरित की गई<br>न्या. कले.महो. जिला सागर के रा.प्र.क्रं. 07/अ19 3 वर्ष 2019-20 आदेश दिनांक 29.05.2019 के अनुसार उकृत खसरा नंबर 54 रकबा 104.07 हेक्टेयर भूमि बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना के स्थान पर बण्डा सिंचाई परियोजना में आने वाली वन भूमि के बदले वन विभाग के लिए हस्तांतरित की गई |

सूचना केन्द्र
04 JUN 2019
तहसील-देवरी जिला-सागर



Digitally signed by DS COMMISSIONER LAND RECORDS AND SETTLEMENT MADHYA PRADESH 01
Date: 2019.06.04 15:06:44 IST
Reason: Digital Extract of Land Record - Khasra Copy
CLR No. : 11100702000702540000069